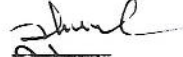


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/4429-36 दिनांक :- 25 अप्रैल 2013

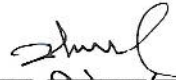
शुद्धि - पत्र

विभाग के आदेश संख्या 306/2013-14 क्रमांक 16778-16867 दिनांक 13 मार्च 2013 के क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री कमलेश कुमार चौहान के नाम के आगे कालम संख्या 8 पर अंकित कार्यालय का नाम "खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगोद, कोटा" के स्थान पर "निरीक्षण विभाग, मुख्यालय कोटा" पढ़ा जावे।


निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/4429-36 दिनांक :- 25 अप्रैल 2013
प्रतिलिपि:-

- 1 शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष ^① ~~खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सांगोद, कोटा~~
^② ~~संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय निधि, अन्वेषण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय कोटा, (राज0)~~
को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्याथी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें।
- 4 श्री ~~कमलेश कुमार चौहान~~ ^{श्री कमलेश कुमार चौहान} ~~328-20 अजमेर नगर कोटा 324001 (राज0)~~ को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या 8 में दिनांक 31 मई 2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- 6 निजी सहायक, निदेशक
- 7 गोपनीय शाखा
- 8 रक्षित/निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)